

7- राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन /संशोधन /परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है , अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता बरती जा रही है , तो उक्त प्रवृत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तर दायित्व संस्था का होगा ।

भवदीय

(प्रताप सिंह बघेल)
संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

पू०सं०आशु०/ 3149-55 /2011-12 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित -

1-सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

2-मण्डलायुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।

3-जिलाधिकारी गोरखपुर ।

4-शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ०प्र० लखनऊ ।

5-जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर ।

✓ 6-प्रबन्धक/प्रधानाचार्य सेन्ट जोसेफ स्कूल कोइरारी, बड़हलगंज, गोरखपुर ।

7-गार्ड फाईल ।

(प्रताप सिंह बघेल)
संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।